



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 225]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 25 अप्रैल 2011—वैशाख 5, शक 1933

वाणिज्यिक कर विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 25 अप्रैल, 2011

क्र. एफ-ए 3-68-2004-1-पांच- (38).—मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक ए-3-68-2004-1-पांच (21) दिनांक 4 अप्रैल, 2005 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

### संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची के कॉलम (4) में, अनुक्रमांक (5) में, अंक और शब्द “1 जुलाई, 2010” के स्थान पर, अंक और शब्द “1 नवंबर, 2010” स्थापित किए जाएं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 25 अप्रैल, 2011

क्र. एफ-ए 3-68-2004-1-पांच-(38).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए 3-68-2004-1-पांच-(38), दिनांक 25 अप्रैल, 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा, प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 25th April, 2011

F No. A3-68-2004-1-V-(38).—In exercise of the powers conferred by Section 10 of the Madhya Pradesh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Praves Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976), the State Government, hereby, makes the following further amendment in this depratment's notification No.A-3-68-2004-1-V(21) dated 4th April, 2005, namely:—

### AMENDMENT

In the said notification, in column (4) of schedule, in serial number (5), for the figures and word "1st July, 2010", the figures and word "1st November, 2010" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
R. K. YADAV, Addl. Secy.